

प्रेषक,

श्री अमोक गांगुली,
संयुक्त निदेश,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेश,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्रभिति, बिहार, नई दिल्ली।

Handwritten notes:
निदेश संख्या-987/15-7-1999
श्री अमोक गांगुली
संयुक्त निदेश
उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा केन्द्र 2
समुदाय केन्द्र
प्रभिति, बिहार
नई दिल्ली

दिनांक : 21 जून, 1999

विषय :- भगीरथ पब्लिक स्कूल बी०-ब्लॉक, संजयनगर, गाजियाबाद को सी०बी०ई०ई०
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह ज्ञान हुआ है कि भगीरथ पब्लिक स्कूल
बी०-ब्लॉक, संजयनगर, गाजियाबाद को सी०बी०ई०ई० नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत तोतापटी का तय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रबन्ध क्षमता में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा भेजाले विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित मुक्त से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से जितनी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यमान माध्यमिक शिक्षा परिषद् से उच्च वेतन शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कौटिल फार दि इण्डियन स्कूल र्टीफिकेट इकायमिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिणामों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
5. संस्था के शिक्षक एवं शिक्षित कर्मचारियों को राजकीय तहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
6. कर्मचारियों की सेवा में बनायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियति के अधीन किया जायेगा ।

Signature
MANAGER
BHAGIRATH PUBLIC SCHOOL
B-Block, Sector-23, Sanjay Nagar
Ghaziabad

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पुस्तक/पंजीकों में रखा जायेगा।

उक्त बातों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्करण नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि

विद्यालय के शिक्षक/शिवांगेस्तर कर्मचारियों को वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान करवाया जाय।

विद्यालय संचालन हेतु 2 एकड़ भूमि की व्यवस्था की जाय।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करता संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता दखती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

ह/-

अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव।

फूओ 987


12/15-7-98 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक जाँचवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मरौठ
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, 3070, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, भगीरथ पब्लिक स्कूल, बी० ब्लॉक संजयनगर गाजियाबाद।

आज्ञा से,
ह/-

अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव।


MANAGER
BHAGIRATH PUBLIC SCHOOL
B-Block, Sector-23, Sanjay Nagar
Ghaziabad